

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 () 2013/गोप्र/प्रमुवस/

दिनांक जुलाई, 2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशङ्गानुसार निम्नांकित वनपालों को क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर वेतनमान 9300-34800, पे बेण्ड-2, ग्रेड पे-11 (3200) में क्षेत्रीय द्वितीय का कार्यभार सम्भालने की तिथि से 6 माह तक अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी शीघ्रतर हो, तक के लिये पूर्णतया आवश्यक अस्थाई रूप से एतद्वारा पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सगक्ष अंकित विवरणानुसार पदस्थापन किये जाने का आदेश प्रचलित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम वनपाल सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	1.4.2013 के अनुसार वनपाल की वरि. संख्या	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	हीरा लाल पानेरी	जगन्नाथ पानेरी	45	क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज धारियावद, उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर
2	नेत्रपाल सिंह	उमराव सिंह	46	क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज छबड़ा, उप वन संरक्षक, बांरा	रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर
3	हेमन्द्र सिंह	दौलत सिंह	48	क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज पोकरण, उप वन संरक्षक, जैसलमेर	रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर
4	विशम्भर दयाल	हमी चन्द	49	क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज मनोहरथाना, उप वन संरक्षक, झालावाड	रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर

यदि उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवक दिनांक 10 अगस्त, 2013 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे तो उनकी पदोन्नति का आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(यू.एम.सहाय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 () 2013/गोप्र/प्रमुवस/ 2347-65

दिनांक 26 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त पदोन्नत वनपाल वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें दिनांक 5 अगस्त, 2013 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति पर नवीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित वनपाल द्वारा क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई वनपाल पदोन्नति उपरान्त क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने का इच्छुक नहीं हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब अप्रेषित करने का कष्ट करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक
4. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु
5. उप वन संरक्षक
6. अध्यक्ष, राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जयपुर
7. श्री..... द्वारा उप वन संरक्षक.....
8. रक्षी पत्रावली

(वीरेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(प्रशासन) राजस्थान, जयपुर